8/1/2021

No. /USDMA/792(2020) 164

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

उत्तराखण्ड सरकार

सचिवालय, देहरादून

दिनांक दिसम्बर, 2020

8.1.2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्य में कोविड के संक्रमण की रोकथाम के लिये दिनांक 03 दिसंबर, 2020 को पत्र संख्या 831 / यूएसडीएमए / 792 (2020) द्वारा निर्गत किये गये दिशानिर्देश अग्रिम आदेशों तक पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 2020 को निर्गत मानक प्रचालन कार्यविधि के क्रम में राज्य में कोविड -19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से समस्त सम्बन्धितों को निम्नलिखित मार्गनिर्देशों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जाता है।

बाजारों में कोविड -19 के प्रसार को रोकने हेतु निवारक उपाय तथा विभिन्न हितधारकों की भूमिका व उत्तरदायित्व

1. COVID उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन

COVID-19 के जोखिम को कम करने के लिये सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन किया जाना चाहिए। दुकान और प्रतिष्ठान के स्वामियों, आगंतुकों तथा कार्मिकों के द्वारा निम्नलिखित उपायों का सदैव अनुपलान किया जाना चाहिये :

क्र०सं०	उपाय	उत्तरदायित्व
a	जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिये	गृह विभाग / पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड
b	फेस कवर / मास्क का अनिवार्यतः उपयोग किया जाना चाहिये	- तदैव -
c	सभी व्यक्तियों को मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप को इन्स्टाल व उपयोग किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये	- तदैव -
d	थूकना सख्त वर्जित होगा	- तदैव -

2. बाजारों में स्वस्थ वातावरण बनाए रखना

सामान्य दिनों में बाज़ारों में अत्यधिक भीड़भाड़ होने की स्थिति में प्रायः पर्याप्त साफ़-सफाई की व्यवस्था न हो पाने से वातावरण दूषित होता है तथा स्थितियां संक्रमण के फैलाव के अनुकूल हो जाती हैं। COVID-19 के फैलाव के जोखिम को रोकने के लिये बाजार में स्वस्थ वातावरण बनाये रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

क्र०सं०	उपाय	उत्तरदायित्व
a	दुकानों के खुलने से पहले, दिन में कुछ बार तथा दुकान बंद होने के समय , बार-बार छुई जाने वाली सतहों (डोर नॉब्स / हैंडल, एलेवेटर बटन, हैंड रेल, चेयर, टेबल टॉप, काउंटर्स, फर्श, दीवार इत्यादि) की नियमित रूप से सफाई व इनको संक्रमणमुक्त किया जाना चाहिये	दुकान / प्रतिष्ठान के स्वामी/ संचालक *(नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा)*

165

b	दुकानों के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से हाथ स्वच्छता (हैण्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसर) की व्यवस्था	दुकान / प्रतिष्ठान के स्वामी/ संचालक *(नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा)*
c	सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्रों और खुले स्थानों में नियमित अंतराल पर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिडकाव किया जाना	नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय *(शहरी विकास विभाग / ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा))*
d	सार्वजनिक शौचालयों, हाथ धोने और पीने के पानी के स्थानों को प्रतिदिन कम से कम 3-4 बार अच्छी तरह से साफ़ किया जाना	दुकान / प्रतिष्ठान के स्वामी/ संचालक *(नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय द्वारा सुनिश्चित) (शहरी विकास विभाग / ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियमित निगरानी)*
e	व्यापार संघ द्वारा स्वयं के संसाधनों और स्थानीय शहरी निकायों / नागरिक संस्थाओं के सहयोग से सार्वजनिक उपयोग के स्थानों और खुले स्थानों में स्वच्छता बनाये रखना	मार्केट एसोसिएशन / मंडी समिति *(नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जाय) (शहरी विकास विभाग / ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियमित निगरानी)*
f	प्रमुख स्थानों पर COVID उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से दिशा निर्देश/ सूचना/ विज्ञापन आदि की व्यवस्था	स्वास्थ्य विभाग / महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

3. बाजारों में COVID संबंधित उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु योजना

3.1 व्यापार संघ द्वारा निम्नलिखित उपायों के माध्यम से बाजारों में COVID उपयुक्त व्यवहार का स्वैच्छिक अनुपालन करवाते हुए उक्त का स्व-विनियमन किया जा सकता है :

क्र०सं०	उपाय	उत्तरदायित्व
a	बाज़ार (दुकानों और प्रतिष्ठानों के अन्दर व बाहर) में COVID उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन व निगरानी के लिये प्रत्येक बाजार के लिये एक उप-समिति का गठन	बाजार समिति / मंडी समिति *(शहरी विकास विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / गृह विभाग / पुलिस महानिदेशक , उत्तराखंड द्वारा नियमित निगरानी - जो भी उचित हो)*
b	सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर मास्क के विपणन हेतु बाजार के प्रवेश स्थानों तथा पार्किंग स्थल पर उचित व्यवस्थायें	बाजार समिति / मंडी समिति *(शहरी विकास विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / गृह विभाग / पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड द्वारा नियमित निगरानी - जो भी उचित हो)*
c	वंचित वर्ग के लिए बिना मूल्य के मास्क की व्यवस्था	- तदैव -
d	सार्वजनिक स्थानों में साबुन/ हैण्ड वाश की उपलब्धता के साथ हाथ धोने की व्यवस्था, उक्त के अन्तर्गत पैर द्वारा संचालित नल और संपर्क रहित साबुन डिस्पेंसर के उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिये	- तदैव -
e	बाजार में प्रवेश बिंदुओं पर बड़े पैमाने पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था	- तदैव -
f	सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्रों में स्वच्छता के लिये थर्मल स्कैनर, सैनिटाइज़र, कीटाणुनाशक आदि का क्रय	- तदैव -
g	प्रमुख स्थानों में COVID उपयुक्त व्यवहार से सम्बन्धित सूचनायें व जानकारियां	- तदैव -

3.2 प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा COVID उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करवाना।

सुरक्षा उपायों के स्वैच्छिक अनुपालन न हो पाने की स्थिति में नियामक संस्थाओं द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु यथाआवश्यकता निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया जा सकता है :

क्र०सं०	उपाय	उत्तरदायित्व
a	मास्क / फेस कवर न पहनने या शारीरिक दूरी के नियमों की अवहेलना पर अर्थदण्ड की व्यवस्था	गृह विभाग / पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड
b	बाजारों / दुकानों को क्रमवार खोले जाने के विकल्प पर विचार	दुकान / प्रतिष्ठान के स्वामी/ संचालक / मार्केट / मंडी समिति / नगर निगम / / स्थानीय शहरी निकाय
c	बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आने की स्थिति में तथा उक्त के लिए सम्बंधित बाज़ार का उत्तरदायित्व होने पर सम्बन्धित बाज़ार को बंद किया जाना	गृह विभाग / पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड / बाजार संघ (एस) / मंडी समिति / नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय

3.3 COVID उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करवाने के लिये दुकान/ प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा निम्नवत कार्यवाही की जायेगी :

क्र०सं०	उपाय	उत्तरदायित्व
a	दुकानों के अंदर और बाहर दो व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु फर्श पर विशिष्ट चिह्नों की व्यवस्था	दुकान / प्रतिष्ठान के स्वामी/ संचालक *(मार्केट एसोसिएशन (मण्डी समिति) / नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय। पुलिस महानिदेशक, द्वारा नियमित निगरानी - जो भी उचित हो)*
b	दुकानों / प्रतिष्ठानों के अंदर और बाहर पंक्ति प्रबंधन की व्यवस्था । (Queue management)	- तदैव -
c	शारीरिक दूरी के मानदंडों की निगरानी के लिए पर्याप्त कर्मियों की तैनाती	- तदैव -
d	बिना मास्क के दुकानों / प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने वाले ग्राहकों के लिए ट्रिपल लेयर मास्क / फेस कवर का प्रावधान	- तदैव -
e	आगंतुकों के हाथों को सैनिटाइज करने के लिए दुकान / प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनिटाइजर की व्यवस्था करना। जहाँ तक संभव हो कार्मिकों और ग्राहकों के शरीर के तापमान की निगरानी के लिये थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था	- तदैव -
f	जहां भी संभव हो, संपर्क-विहीन भुगतान को प्रोत्साहन तथा उक्त हेतु उपयुक्त व्यवस्था	- तदैव -

3.4 वायु संचार सुनिश्चित करना

क्र०सं०	उपाय	उत्तरदायित्व
a	जहाँ तक संभव हो, प्राकृतिक वायु संचार सुनिश्चित किया जाना चाहिये तथा छोटे, घिरे हुए व बंद स्थानों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिये	दुकान / प्रतिष्ठान के स्वामी/ संचालक *(मार्केट एसोसिएशन (मण्डी समिति) / नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय। पुलिस महानिदेशक, द्वारा नियमित निगरानी - जो भी उचित हो)*
b	खिड़कियों और दरवाजों को खोल कर तथा पंखों, एग्जास्ट फैन या अन्य तरीकों का उपयोग कर के, जितना संभव हो सके, बाहरी ताज़ी हवा के आवागमन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये	- तदैव -

c	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के दिशानिर्देशानुसार सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30° C की सीमा में होनी चाहिये, सापेक्षीय आर्द्रता 40-70% की सीमा में होनी चाहिए, ताजी हवा का संचरण जितना संभव हो और क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिये। स्विच करने से पहले एयर हैंडलिंग यूनिट को साफ किया जाना आवश्यक है	- तदैव -

3.5 भीड़ प्रबंधन

भीड़ का जमाव पूरे समय एक जैसा नहीं रहता है और आमतौर पर शाम के समय ही ज्यादा भीड़ होती है। सप्ताहांत और छुट्टियों के दिन, बाज़ार में देर शाम तक भीड़ रहती है। इन चरम दिनों / घंटों के लिए पृथक से योजना बनायी जानी चाहिये। भीड़ प्रबंधन के लिये व्यावसायिक संगठनों के सहयोग से प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित रणनीतियों पर काम किया जा सकता है।

क्र०सं०	उपाय	उत्तरदायित्व
a	भीड़ नियंत्रण के लिये नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों / होम गार्ड / पीआरडी स्वयंसेवकों आदि का सहयोग	गृह विभाग / पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड
b	वाहनों के प्रवेश को सीमित व व्यवस्थित करने के लिये पार्किंग स्थल पर उपयुक्त उपायों का क्रियान्वयन	गृह विभाग / पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड, मार्किट एसोसिएशन, मंडी समिति
c	जहाँ तक संभव हो प्रवेश व निकास की पृथक व्यवस्था	- तदैव -
d	बाज़ारों को वाहन मुक्त (मोटर साइकिल / इलेक्ट्रिक-रिक्शा सहित) बनाया जा सकता है और जहाँ तक संभव हो केवल पैदल / साइकिल को प्रवेश की अनुमति	गृह विभाग / पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड, मार्किट एसोसिएशन, मंडी समिति
e	सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा बाजार की सड़कों पर अवैध पार्किंग करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड, स्थानीय शहरी निकाय
f	वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़ा करने की अनुमति के साथ ही पार्किंग परिसर के अन्दर व् बाहर शारीरिक दूरी के मानकों के अनुपालन व् भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था	- तदैव -
g	अधिक भीड़भाड़ पर रोक व निगरानी हेतु सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था	- तदैव -
h	भिन्न भिन्न दुकानों / प्रतिष्ठानों को खोलने- बंद करने हेतु पृथक समय का निर्धारण	(मार्कट एसोसिएशन (मण्डी समिति) / नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय
i	किराने / सामान की ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाना। होम डिलीवरी से पहले संबंधितों के द्वारा होम डिलीवरी स्टाफ़ की थर्मल स्क्रीनिंग की जानी चाहिये	- तदैव -
j	भीड़-भाड़ वाली समयावधि में खरीदारी न कर अतिरिक्त समय पर खरीददारी करने वालों के लिए प्रोत्साहन / छूट पर विचार	- तदैव -

3.6 जन जागरूकता

क्र०सं०	उपाय	उत्तरदायित्व
a	बाजारों में प्रमुख स्थानों पर COVID-19 निवारक उपायों के पोस्टर / स्टैंडी / एवी मीडिया आदि के प्रदर्शन की व्यवस्था तथा उपयुक्त स्थानों पर क्या करें और क्या नहीं, सम्बन्धित दिशानिर्देशों द्वारा जन-जागरूकता को बढ़ावा	सूचना विभाग / स्थानीय शहरी निकाय / शहरी विकास विभाग / स्मार्ट सिटी परियोजना

b	कोविड सुरक्षा सम्बन्धी उपायों व् उपयुक्त व्यवहार पर रिकॉर्ड किए गए संदेशों को बाजारों व् सार्वजनिक स्थानों में प्रसारित किया जाना	- तदैव -
c	दुकानों/ प्रतिष्ठानों की वेबसाइट अथवा मोबाइल एप्लिकेशन के होम पेज पर COVID-19 के निवारक उपायों का प्रदर्शन। वेबसाइट / मोबाइल एप्लिकेशन के द्वारा आगंतुकों को स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करने तथा कोविड -19 के लक्षणों से पीड़ित होने पर घर पर ही रहने का परामर्श	दूकान / प्रतिष्ठान स्वामी/ संचालक
d	प्रमुख स्थानों पर राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबरों से सम्बंधित जानकारियों का प्रदर्शन	सूचना विभाग / स्वास्थ्य विभाग / महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

3.7. COVID संबंधित आपूर्ति उपलब्ध कराना

क्र०सं०	उपाय	उत्तरदायित्व
a	दुकान/ प्रतिष्ठान स्वामियों/ संचालकों के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे फेस कवर / मास्क, और अन्य लॉजिस्टिक्स जैसे हैण्ड सैनिटाइज़र, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल (1%) आदि की उचित व्यवस्था के साथ ही बाजार संघ के द्वारा सार्वजनिक उपयोग के स्थानों की स्वच्छता के लिये उक्त आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था	दुकान / प्रतिष्ठान के स्वामी / संचालक *(मार्केट एसोसिएशन (मण्डी समिति) / नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय/ पुलिस महानिदेशक, द्वारा नियमित निगरानी - जो भी उचित हो)*
b	बिना संपर्क के तापमान नापने वाले यंत्रों की प्रयाप्त व्यवस्था	- तदैव -
c	CPCB के दिशानिर्देशों के अनुसार कचरे का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त संख्या में कवर डस्टबिन और कचरा डिब्बे की व्यवस्था (available at: https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/Bio-Medical-Waste/BMWGUIDELINES- COVID_1.pdf)	दुकान / प्रतिष्ठान के स्वामी / संचालक/ स्थानीय शहरी निकाय / शहरी विकास विभाग / स्मार्ट सिटी परियोजना *(मार्केट एसोसिएशन (मण्डी समिति) / नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय/ पुलिस महानिदेशक, द्वारा नियमित निगरानी - जो भी उचित हो)*

4.स्वच्छता पूर्वक रूप से बाजारों का संचालन बनाए रखना

क्र०सं०	उपाय	उत्तरदायित्व
a	कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले दुकान स्वामियों/ संचालकों/ कर्मचारियों और आगंतुकों का बाज़ार में प्रवेश प्रतिबन्धित	पुलिस महानिदेशक / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय / मार्केट एसोसिएशन / मंडी समिति - जो भी उपयुक्त हो
b	दुकानों के प्रवेश बिंदु पर, सभी कर्मचारियों / आगंतुकों के द्वारा को अनिवार्य रूप से हाथों को सैनिटाइज़ किया जाना तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था। COVID के लक्षण वाले व्यक्तियों/ कार्मिकों/ ग्राहकों का प्रवेश वर्जित	दुकान / प्रतिष्ठान स्वामी/ संचालक *(मार्केट एसोसिएशन (मण्डी समिति) / नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय/ पुलिस महानिदेशक, द्वारा नियमित निगरानी - जो भी उचित हो)*
c	फेस कवर / मास्क के बिना कर्मचारियों / आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध। दुकानों के अंदर और बाहर हर समय फेस कवर / मास्क लगाना अनिवार्य	- तदैव -

d	प्रतिष्ठान में प्रवेश के समय पंक्ति में लगने पर, कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य	पुलिस महानिदेशक / नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय / दुकान / प्रतिष्ठान मालिक / एसोसिएशन / मंडी समिति / (जो भी उपयुक्त हो)
e	शारीरिक दूरी के मानदंडों को बनाये रखने के लिये, दुकान के अंदर ग्राहकों की संख्या पर नियंत्रण	दुकान / प्रतिष्ठान स्वामी/ संचालक *(मार्केट एसोसिएशन (मण्डी समिति) / नगर निगम / स्थानीय शहरी निकाय/ पुलिस महानिदेशक, द्वारा नियमित निगरानी - जो भी उचित हो)*
f	यदि दुकानों के अंदर बैठने की व्यवस्था है तो जहाँ तक संभव हो कुर्सियों, बेंच आदि के बीच 6 फीट की दूरी की व्यवस्था	- तदैव -
g	शारीरिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखने के लिये लिफ्ट में लोगों की संख्या पर नियंत्रण	- तदैव -
h	एस्केलेटर के उपयोग के समय एक सीढ़ी को खाली छोड़े जाने की व्यवस्था	- तदैव -
i	दुकान संचालक / कर्मचारी द्वारा नियमित रूप से बार बार हैंडवाश / हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग किया जाना	- तदैव -

8.1.21

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष
राज्य कार्यकारी समिति
उत्तराखण्ड सरकार

प्रेषित

1. प्रमुख सचिव / सचिव, समस्त विभाग, उत्तराखंड सरकार
2. महानिदेशक,पुलिस विभाग , उत्तराखण्ड
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड
4. महाधिवक्ता, मा० उच्चन्यायालय, नैनीताल
5. समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रीगण को मा० मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ
6. समस्त सदस्य , राज्य कार्यकारी समिति
7. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल
8. पुलिस महानिरीक्षक , कुमाऊँ एवं गढ़वाल
9. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन

8.1.21

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष
राज्य कार्यकारी समिति
उत्तराखण्ड सरकार